पावर ब्रिड कोपॉरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited



सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लीक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सीदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गृहगांव, हरियाणा-122007



Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/E/22/00009

दिनांक: 27 January 2022

Shri Parag Saroha H.no 46 Phase 4 A to Z Colony Muzaffarnagar-251001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 7 January, 2022 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें !

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा, कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद.

अवदीप

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ:) एवं के.लो.स्.अधिकारी

Email ID: spio.ce@powergrid.co.in

Annexure-I

SI no.	RTI	Reply
1	I got result of Executive Trainee (ECE) in 2021. I want to know the cutoff and the marks I got in the interview of PGCIL. I also want to know about if I am in waiting list. I want to know my position in waiting list.	The marks secured by the candidate in GATE Marks(Out of 100), GD marks (Out of 20), Interview marks (Out of 100) along with the Merit Rank, if any, and the cut off rank to which offer is issued is provided in the individual candidate login.
2	I want to know marks of all students selected and comparison of their marks with my total marks.	The above information sought pertains to personal information of third party, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest and which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. Hence, the information cannot be provided under Clause 8 (1) (j) of RTI Act.

in